आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3

28-10-2013

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या--सी0आर0एम0--27 / 09--10

गणेश प्रसाद

बनाम

बिहार सरकार

अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया ने अपने आदेश दिनांक 08.12.2005 द्वारा जनवितरण प्रणाली के विक्रेता श्री गणेश प्रसाद की दुकान की अनुज्ञप्ति को रदद् कर दिया गया। जिसके विरूद्ध में उन्होनें इस न्यायालय में दिनांक 23.12.2005 को अपील दायर किय था जिसे सुनवाई के पश्चात दिनांक 07.06.2006 को रद्द कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 --12359 / 2006 दायर किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 21.12.2009 को आदेश पारित किया गया। जिसके द्वारा वाद को अपीलीय न्यायालय में सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 01.02.2010 को इस न्यायालय में आवेदन पत्र दिया गया जिसे दिनांक 01.02.2010 को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया एवं निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गयी। अपीलकर्ता की लगातार अनुपस्थिति के कारण इस वाद को दिनांक 10.02.2012 को रदद् कर दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.03.2012 को इस वाद को पुर्नजिवित करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया। अपील आवेदन पत्र को अपीलकर्ता से 1000 / रू0 (एक हजार) दण्ड स्वरूप जमा कराने के उपरांत वाद को पुर्नजिवित किया गया।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 29.01.2013 से दिनांक 20.09.2013 तक लगातार दस तिथियों तक अनुपस्थित रहा। दिनांक 03.05.2013 एवं 20.09.2013 को अपीलकर्ता के पुनः अनुपस्थित रहने के कारण यह आदेश दिया गया कि उन्हें उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर दिया जाता है, अगर अगली तिथि को वे उचित पैरवी नही करेंगे तो वाद को खारिज कर दिया जाएगा। दिनांक 25.09.2013 को अपीलकर्ता की ओर से हाजिरी दी गयी लेकिन पुनः अगली तिथि 07.10.2013 को वे अनुपस्थित रहें। अपीलकर्ता के बराबर अनुपस्थित रहने की प्रवृति से यह विदित होता है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूची नही है। उपरोक्त के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर निम्न तथ्य उभरकर सामने आते है :—

(1) अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर द्वारा निर्गत आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुमंडल स्तरीय जांचदल द्वारा अपीलकर्ता के ज0वि0प्र0 के दुकान की जांच करायी गयी। जाचोपरांत निम्नांकित अनियमितता पाई गयी :—

(i) सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना कार्यवधि में दुकान बंद पाई गयी।

(ii) सूचनापट्ट पर भंडार–सह–मूल प्रदर्शन पर किरासन तेल का प्रारभिक भंडार 1281लिटर अंकित है। लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान मात्र 600 लि0 किरासन तेल पाया गया।

(iii) जांच के दौरान कागजात आदि उपलब्ध नही कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा विक्रेता श्री गणेश प्रसाद को कारण पृच्छा दाखिल करने की नोटिस दी गयी। उन्होनें अपने

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

कारण पृच्छा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया है।

(i) वे दिनांक 01.12.2005 को सुबह 8.00 बजे से दुकान खोलकर उपभोक्ताओं के बीच किरासन तेल का वितरण कर रहे थे। उक्त तिथि को उनके भंडार में प्रारम्भिक 1281 लिटर था। उनका यह भी कहना है कि लगभग 11.30 बजे तक 672 लि0 किरासन तेल का वितरण कर चुके थें। शेष 609 लि0 किरासन तेल दुकान पर रखा हुआ था।

(ii) उनका कहना है कि वे अपने पोता का डाक्टर को दिखाने चले गये थे। जिसके कारण दुकान बंद थी एवं वे जांच दल को कागजात उपलब्ध नही करा सकें।

अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा कारण पृच्छा को भ्रामक एवं असंतोष पाकर अनुमंडल स्तरीय जांच दल के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अपीलकर्ता के ज0वि0प्र0 के दुकान को रद् कर दिया।

इस आदेश के विरूद्ध विक्रेता श्री गणेश प्रसाद द्वारा समाहर्ता, के न्यायालय में अपील दायर किया। दोनो पक्षों के सुनने के पश्चात समाहर्ता द्वारा दिनांक 07.08.2006 को आदेश पारित किया गया कि 681 लिटर किरासन तेल के कालाबाजारी के लिए दुकान बंद की गयी थी। बिमारी की कहानी बाद में बनाई गयी थी। अतः उन्होनें दुकान में अनियमितता के कारण रद्द करना जायज पाया गया। इस आदेश के विरूद्ध विक्रेता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी।जिसका सी0डब्लू0जे0सी0

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

नं0–12359/2006 है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2009 को आदेश पारित किया गया एवं वाद को अपीलीय न्यायालय को इस निदेश के साथ रिमाण्ड किया गया कि विक्रेता को कागजात दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाए। अपीलीय न्यायालय यह भी देखें कि दाखिल किये गये कागजात बाद में तो नहीं बनाये गये (Antedated) है।

अपीलकर्त्ता को संदर्भित कागजात जमा करने एवं उचित पैरवी करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा न तो समय पर पैरवी दी गयी है और न अनियमितता के संबंध में मूल कागजात यथा भंडार पंजी एवं वितरण पंजी दाखिल की गयी है। इस तरह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक मे विक्रेता को कागजात दाखिल करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन वे न्यायालय में अनुपस्थित तो रहे ही मूल कागजात भी दाखिल नहीं कर सके। अतः अपीलकर्त्ता की लगातार अनुपस्थिति एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर अपील आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

28/10

जिला दंडाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

28/10

जिला दंडाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।